234

प्रेषक,

निदेशक एवं विभागाध्यक्ष,
अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम,
17/2 प्रकाश विहार, धर्मपुर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रेष्य,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः /बी0सू0का0(वैबसाईट)/2014–15 दिनांकः देहरादूनः नवम्बर 06, 2015

विषयः– **राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के फलस्वरूप बीस सूत्री कार्यक्रम में रैंकिंग के अन्तर्गत प्रबोधित किये जाने वाले मदों के विवरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत ही हैं कि बीस सूत्री कार्यकम के सूत्र संख्याः 5 खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत टी0पी0डी0एस0 (एपीएल+बीपीएल+एएवाई) खाद्यान्न आवंटन/उठान, टीपीडी0एस0–बी0पी0एल0 हेतु खाद्यान्न आवंटन/उठान, टी0पी0डी0एल0–ए0पी0एल0 खाद्यान्न आवंटन/उठान तथा टी0पी0डी0एल0–ए0ए0वाई हेतु खाद्यान्न आवंटन/उठान मदें मासिक रूप से रैंकिंग में सम्मिलित हैं। ज्ञात हुआ है कि माह अक्टूबर, 2015 से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो चुकी है। भारत सरकार स्तर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी कई राज्यों में एन0एफ0एस0ए0 लागू की गई है। अब उत्तराखण्ड राज्य में एन0एफ0एस0ए0 के लागू होने के फलस्वरूप मदों के विवरण के अनुसार प्रतिमाह रैंकिंग में अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में खाद्य विभाग द्वारा अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। इस प्रकार निम्न मदों का परीक्षण करते हुए रैंकिंग के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु खाद्य विभाग द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।

1. एन0एफ0एस0ए0–प्राथमिक परिवार+ए0ए0वाई0 हेतु खाद्यान्न आवंटन/उठान।
2. एन0एफ0एस0ए0– प्राथमिक परिवारों हेतु ए0वाई0 हेतु खाद्यान्न आवंटन/उठान।
3. एन0एफ0एस0ए0–ए0ए0वाई0 हेतु खाद्यान्न आवंटन/उठान।
4. एस0एफ0एस0ए0–ए0पी0एल0 हेतु खाद्यान्न आवंटन/उठान।

उक्त चारों मदों को रैंकिंग के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने अथवा क्रम संख्याः 4 पर वर्णित मद को नॉन रैंकिंग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में भी विचार करते हुए तत्काल बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन, उत्तराखण्ड को अवगत कराया जाय ताकि सभी जनपदों को निर्देश प्रसारित करने के साथ–साथ बीस सूत्री कार्यक्रम की ऑन–लाईन एपलिकेशन में यथा स्थान योजनाओं की नामावली में संशोधन किया जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना व राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के उक्त मदों के अनुश्रवण हेतु शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वाई0एस0 पांगती)
निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।

पत्रांकः 249/बी0सू0का0(वैबसाईट)/2014–15 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकार, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को वैवसाईट में उक्तानुसार अक्टूबर, 2015 से योजनाओं के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वैव इन्फॉरमेशन लीडर, बीस सूत्री कार्यक्रम को इस आशय से कि एन0आई0सी0 से समन्वय स्थापित करते हुए वैवसाईट में योजनाओं का नाम परिवर्तित कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।